न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री सर्वेश्वर निम्बार्क ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 305/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
भूराराम पुत्र देवाराम जाति भील निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. खनि अभियन्ता, खन एवं भू विज्ञान विभाग, बाड़मेर 2. उमाराम पुत्र चौखाराम 3. केसाराम पुत्र चौखाराम जाति जाट निवासी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 के प्रतिनिधि एवं विप्रार्थी संख्या 4 के राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) उपस्थित।
3. श्री चिमनसिंह चौधरी वकील विप्रार्थी संख्या 02 से 03 की तरफ से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 18.02.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 569/555 क्षेत्रफल 0.4611 ग्राम इन्द्रासर पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 के खसरा संख्या 480 रकबा 6.4073 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 2 व 3 की भूमि खसरा सख्या 477 रकबा 7.3943 हेक्टयर ग्राम इन्द्रासर पटवार मण्डल सड़ा भूमि आया हुआ है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 03 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम इन्द्रासर पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 480 व 477 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि जो अत्याधिक आवश्यकता का एकमात्र विकल्प होने से उसे राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी सं. 1 ने अपनी ओर से आवेदन के तथ्यों को स्वीकार करते हुए जरिये इस्तदुआ प्रार्थी के आवेदन की स्वीकारोक्ति में जवाब प्रस्तुत किया। विप्रार्थी सं. 2 से 03 की तरफ से वकील श्री चिमनसिंह चोधरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार अपेक्षित रास्ता दिये जाने की मौखिक सहमति व्यक्त की गई। विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए।

उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 569/555 क्षेत्रफल 0.4611 ग्राम इन्द्रासर पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 के खसरा संख्या 480 रकबा 6.4073 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 2 व 3 की भूमि खसरा सख्या 477 रकबा 7.3943 हेक्टयर ग्राम इन्द्रासर पटवार मण्डल सड़ा भूमि आया हुआ है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 03 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम इन्द्रासर पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 480 व 477 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि जो अत्याधिक आवश्यकता का एकमात्र विकल्प होने से उसे राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे, आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते के संबंध में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी आवेदन पत्र के तथ्यों के सन्दर्भ में विप्राथी सं. 1 की ओर से उनके प्रतिनिधि ने अपनी ओर से लिखित जवाब के तथ्यों में प्रार्थी के पक्ष में रास्ता दिये जाने की

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपने कथनों में जाहिर किया वर्तमान में प्रार्थी को आवागमन हेतु कटाण मार्ग तक रास्ता अनुपलब्ध है। ऐसी स्थिति में प्राप्त मौका रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम आदेश जारी किये जावे।

हमनें दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिर्पोट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 569/555 क्षेत्रफल 0.4611 ग्राम इन्द्रासर पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 के खसरा संख्या 480 रकबा 6.4073 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 2 व 3 की भूमि खसरा सख्या 477 रकबा 7.3943 हेक्टयर ग्राम इन्द्रासर पटवार मण्डल सड़ा भूमि आया हुआ है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 03 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोट पत्र कमांक 151/02.02.2026 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा इन्द्रासर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 569/555 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 480 व 477 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 480 किस्म .में लम्बाई 49 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0294 हैक्टयर, खसरा संख्या 477 में लम्बाई 78 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0468 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–2529000/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। विप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपनी स्वीकारोक्ति में दी गई स्वीकारोक्ति में प्रस्तावित मार्ग को कटाण मार्ग में परिवर्तित करने की सहमति को ध्यान में रखते हुए खसरा संख्या 477 क्षेत्रफल 7.3943 हैक्टयर किस्म बा.दो.में लम्बाई 78 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0468 हैक्टयर, राशि–237000/–अक्षरे दौ लाख सैतींस हजाररूपयें मात्र विप्रार्थी संख्या 02 से 03 को दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम इन्द्रासर तहसील सिणधरी में विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 480 में लम्बाई 49 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0294 हैक्टयर, खसरा संख्या 477 में लम्बाई 78 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0468 हैक्टयर भूमि मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर ———दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 से 03 को क्षतिपूर्ति कुल राशि–237000/–अक्षरे दौ लाख सैतीस हजार रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./2026/151 दिनांक 02.02.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी